



भारत सरकार

कार्यालय, आयकर आयुक्त,
जयपुर-द्वितीय, जयपुर

स्थाई खाता संख्या:- AACAP5331N

दिनांक- 02.07.2014

आदेश:-

प्रवीणलता संस्थान,
7, "भीमती हाउस" सीतारामपुरी,
गोविन्द नगर (पूर्व), आमेर रोड,
जयपुर

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट।

आयकर अधिनियम, 1961 धारा 80 जी के अन्तर्गत आपको छूट दी जाती है। आपको दानकर्ता द्वारा दिया गया अनुदान, उसके पक्ष में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी की छूट के अन्तर्गत उस सीमा तथा शर्तों के अनुरूप होगा जो कथित धारा में विहित हैं।

2. यह छूट प्रमाण पत्र निर्धारण वर्ष 2015-16 से मान्य होगा :

3. प्रार्थना पत्र की धारा 80 जी (5)(vi) के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में संख्या 12/2014-15 न्यास/संस्था में दर्ज कर लिया गया है।

-ह0-

(जी सी पटवारी)

आयकर आयुक्त, जयपुर-द्वितीय,
जयपुर।




क्र.आ0आ10/जय-11/आ0आ0(त0 एवं न्या)/2014-15/588

दिनांक- 02.07.2014

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान अपर आयकर आयुक्त, खण्ड-5, को सूचनाार्थ ।
2. श्रीमान सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-5, जयपुर को निर्देश के साथ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति/ट्रस्ट/संस्था द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जा रही है।
3. संबंधित ट्रस्ट/संस्था/समिति।


(सुनील कुमार)

आयकर अधिकारी(त0 एवं न्या0)

कृते आयकर आयुक्त, जयपुर-द्वितीय,
जयपुर।